राजस्थान संगीत नाटक अकादमी,जोधपुर
अकादमी अवार्ड योजना

प्रदर्शनात्मक कलाओं की विभिन्न विधाओं में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट एवं उपलब्धिपरक कार्य करने वाले राजस्थान के सिद्ध व स्थापित कलाकारों को अकादमी द्वारा सम्मानित करने की योजना संचालित की जाती है। इस योजनान्तर्गत फेलोशिप व सम्मान दो स्वरूपों में अवार्ड प्रतिवर्ष समारोह पूर्वक प्रदान किये जाते है।

इस हेतु प्रस्ताव निर्धारित पदेन लोगो से ही मांग जाते है। कलाकार सीधा आवेदन नहीं करे।

नियम

1.	राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिये जाने वाले फैलोशिप व सम्मान राजस्थान संगीत नाटक **अकादमी अवार्ड** के नाम से जाने जायेंगे तथा आगे उनका उल्लेख अवार्ड शब्द से किया जायेगा।
2.	इस अवार्ड हेतु कलाकार का चयन उनकी विधा विशेष में वरिष्ठता,प्रतिष्ठा, प्रतिबद्धता एवं मान्यता के आधार पर किया जायेगा।
3.	जिस कलाकार को अकादमी द्वारा पूर्व में सम्मानित किया जा चुका है उसका पुनः सम्मान नहीं किया जायेगा किन्तु अकादमी द्वारा फैलोशिप हेतु सम्मानित कलाकार के नाम पर पांच वर्ष के अन्तराल के पश्चात् विचार किया जा सकता है।
4.	अकादमी द्वारा अवार्ड निम्नांकित विधाओं में उत्कृष्ट एवं उपलब्धिपरक कार्य करने वाले ऐसे सिद्ध एवं स्थापित कलाकारों को प्रदत्त किये जायेंगे जिन्होंने अनवरत साधना से कला जगत को समृद्ध किया है। 1. शास्त्रीय गायन 2. शास्त्रीय वाद्य वादन 3. कथक नृत्य 4. लोक संगीत 5. लोक नृत्य 6. कठपुतली 7. सुगम संगीत 8. रंगमंच (हिन्दी व राजस्थानी) 9. निर्देशन 10. नाट्य लेखन 11. अभिनय 12. रंग शिल्प 13. लोक नाट्य 14. समग्र कला साधना
5.	चयन हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप (नामांकन प्रपत्र) में निम्नलिखित वर्गो से आमंत्रित किये जायेंगे :– 1. अकादमी के फेलोशिप व सम्मान प्राप्त कलाकार। 2. अकादमी के साधारण सभा व कार्यकारी मण्डल व वित्त समिति के सदस्य। 3. अकादमी की सम्बद्ध संस्थाएं। 4. राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रदर्शनात्मक कलाओं के विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता। 5. अकादमी के पूर्व अध्यक्ष। 6. महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र,जयपुर, प्राचार्य राजस्थान संगीत संस्थान,जयपुर, प्राचार्य,कथक केन्द्र, जयपुर, निदेशक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर, राजस्थान में स्थित सभी आकाशवाणी व दूरदर्शन के केन्द्र निदेशक।

6.	प्रस्ताव के प्रारूप में प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कलाकारों से संबंधित विधा में योगदान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी सहित उसका पूर्ण विवरण अकादमी को भेजना होगा।
7.	किसी भी कलाकार द्वारा फैलोशिप अथवा सम्मान प्राप्त करने हेतु स्वयं निवेदित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा अपने नाम के प्रस्ताव पर समर्थन जुटाने के प्रयास को अयोग्यता समझा जायेगा।
8.	अकादमी अवार्ड हेतु केवल राजस्थान के मूल निवासी व ऐसे प्रवासी कलाकारों के नामों पर ही विचार किया जायेगा, जो मूलतः राजस्थान के निवासी रहे हों।
9.	अवार्ड के अन्तर्गत फैलोशिप की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तथा सम्मान की राशि 51,000/- रूपये (रूपये इक्यावन हजार मात्र) निर्धारित है। अवार्ड प्राप्तकर्ता को उक्त राशि के अतिरिक्त अंगवस्त्र तथा ताम्रपत्र प्रदान किये जायेंगे।
10.	अवार्ड प्राप्त करने हेतु समारोह में आने वाले कलाकारों को अकादमी द्वारा आने-जाने का किसी भी श्रेणी का रेल/बस/हवाई यात्रा का इकोनोमिक क्लास वास्तविक किराया,उनके लिए आवास व भोजन की व्यवस्था तथा स्थानीय यातायात की सुविधाऐं प्रदान की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में सम्मान प्राप्त करने वाले कलाकार के समारोह में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके किसी अधिकृत परिजन को उपरोक्तानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी। वृद्ध एवं अशक्त कलाकार को अपने साथ एक सहयोगी लाने की सुविधा दी जा सकेगी मगर यह सुविधा केवल मात्र रेल/बस मार्ग से यात्रा करने पर ही देय होगी।
11.	कार्यालय द्वारा तैयार संकलित ब्यौरे में प्रस्तावक का नाम गोपनीय रखा जायेगा।
12.	चयन हेतु प्रस्तावित नामों पर कार्यकारी मण्डल की अनुशंषा पर साधारण सभा विचार करेगी। प्रस्तावित नामों के अतिरिक्त नये प्रस्तावों पर भी विचार के लिए साधारण सभा सक्षम होगी। साधारण सभा का निर्णय अन्तिम होगा जिसे किसी प्रकार की चुनौति नहीं दी जा सकेगी।
13.	अवार्ड के लिए अकादमी के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके सन्तान के नामों के प्राप्त प्रस्ताव चयन हेतु सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
14.	नियम 4 में वर्णित सभी विधाओं में अवार्ड प्रतिवर्ष प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा।
15.	उपरोक्त नियमों में साधारण सभा परिवर्तन व परिवर्द्धन कर सकेगी तथा नियम व उप नियम बना सकेंगी।